

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गलेदरा

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 13B

अनवान श्री डालचन्द पिता/पति श्री किशना कुमावत
यनाम

राज्य सरकार जारिये तहसीलदार बरसी


महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री डालचन्द पिता/पति
निवासी डांगलहेड़ा का/की हुं/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का डांगलहेड़ा के राजस्व ग्राम डांगलहेड़ा में खाता संख्या 232
किता - 3 रकबा 0-85 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम डालचन्द पुत्र किशना दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम डालचन्द पुत्र किशना के बजाय डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाने की कृपा
करावे।

दिनांक 17/10/2025



हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का डांगलहेड़ा

महोदयजी,


निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डालचन्द पिता/पति किशना कुमावत निवासी डांगलहेड़ा

राजस्व ग्राम डांगलहेड़ा पटवार हल्का डांगलहेड़ा की जमाबन्दी खाना रसम - 23
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में डालचन्द पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।



हस्ताक्षर पटवारी
डांगलहेड़ा
पटवारी

पटवार हल्का डांगलहेड़ा
तह. बरसी (चित्तौड़गढ़)


हस्ताक्षर डांगलहेड़ा

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-भू.अ./2025/

दिनांक-17/10/2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

नियेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डा.पू पिता/पत्नि किशोरा कुमारी निवासी डा.पू पटवार हल्का डा.पू के राजस्व योग डा.पू में जमावन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 232 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम डा.पू पुत्र किशोरा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम डा.पू का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। डा.पू किशोरा कुमारी

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बरसी

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक-रीडर/2025/610

दिनांक-31/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का डा.पू

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री डा.पू पिता/पत्नि किशोरा कुमारी राजस्व ग्राम डा.पू पटवार हल्का डा.पू की खाता संख्या 232 में जाति/नाम डा.पू पुत्र किशोरा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डा.पू पिता/पत्नि किशोरा कुमारी की जाति/नाम डा.पू पुत्र किशोरा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का डा.पू राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।